



## मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिंग कंपनी लिमिटेड

कार्यालय : अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)  
अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला-अनूपपुर (म.प्र.) 484220

दूरभाष 07659-263787

ई मेल-setrgatps001@gmail.com

क्रमांक: 001-01/प्रशिक्षण/3077

चचाई, दिनांक - 15/02/2022

### विज्ञापन

शासकीय/अर्धशासकीय एवं औद्योगिक संस्थानों से उत्तीर्ण शिक्षकों को अमरकंटक ताप विद्युत गृह, मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिंग कम्पनी लिमिटेड चचाई द्वारा 01 वर्ष के लिए नियोजित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.	शाखा	पदों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	फिटर	08	12 माह
2	टर्नर	03	12 माह
3	वेल्डर	03	12 माह
4	मोटर मैकेनिक	03	12 माह
5	इलेक्ट्रीशियन	10	12 माह
6	वायरमैन	02	12 माह
कुल पद		29	

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम एवं शर्तें:-

1. शिक्षकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
2. शिक्षक को NAPS पोर्टल पर पंजीयन करना होगा।
3. शिक्षक के पास आधार नंबर एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज होना चाहिए।
4. अजा/अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग शिक्षकों को शासकीय प्रावधानों के अनुसार चयन किया जावेगा।
5. सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
7. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण समाप्त होने पर म0प्र0पॉ0ज0कं0लि0 द्वारा न तो कोई भी नियुक्ति देने की बाध्यता होगी और न ही प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात नियुक्ता के पास कार्य करने की बाध्यता होगी।
8. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (एम.पी. सी. एवं प्रशिक्षण), अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के पते पर जमा/प्रेषित करना होगा।
9. डाक द्वारा आवेदन प्रेषित करने की स्थिति में आवेदक जिस शाखा में प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहा है उस शाखा एवं वर्ग का नाम लिफाफे पर भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। केवल उपरोक्त शाखाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन करें।
10. आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
11. आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 22/03/2022 है निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने में कोई विलम्ब होने/आवेदन पत्र गुम होने/फटने/नष्ट होने की स्थिति में म0प्र0पॉ0ज0कं0लि0 चचाई का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. प्रशिक्षकों को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने पर उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क के आधार पर आवास आवंटित किये जा सकेंगे। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर प्रशिक्षक स्वयं जिम्मेदार होगा। म0प्र0पॉ0ज0कं0लि0 की इसके लिए क्षतिपूर्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. आई.टी.आई शिक्षकों के प्रशिक्षण (ऑन जॉब प्रशिक्षण) की अवधि 12 माह की होगी तथा स्टाइपेंड रुपये 8000 प्रतिमाह होगा।

14. आवेदक अपना आवेदन एवं सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित/सत्यापित/स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ प्रेषित करें। अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जावें। अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
15. प्रशिक्षुओं का चयन उनकी शाखा में प्राप्तांको की प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा।
16. किसी भी प्रशिक्षु का चयन/निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये म0प्र0पॉ0ज0कं0लि0 अपने पास सुरक्षित रखता है।
17. उपरोक्त पदों हेतु उन्ही उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किये जावेगे जिन्होंने पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण नहीं लिया है।
18. कोरोना महामारी के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)  
अ.ता.वि.गृह, म0प्र0पॉ0ज0कं0लि0, चचाई





# मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिंग कंपनी लिमिटेड

कार्यालय : अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)  
अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई जिला-अनूपपुर (म.प्र.) 484220

ई मेल-setrgatps001@gmail.com

दूरभाष 07659-263787

चर्चाई, दिनांक - / / 2022

क्रमांक: 001-01 / प्रशिक्षण /

## शाखा के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र आवेदन पत्र का प्रारूप

सत्यापित / स्वयं  
सत्यापित फोटो  
चर्षा करें

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)  
अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चर्चाई

शाखा .....

- वर्ग- .....
- आवेदक का पूरा नाम .....
- पिता/पति का नाम .....
- लिंग (महिला/पुरुष) .....
- जन्म तिथि .....
- पत्र व्यवहार का पता .....
- मोबाइल नम्बर .....
- क्या अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विकलांगता में आते है यदि हॉ तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- क्या पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है यदि हॉ तो उसका विवरण .....
- शैक्षणिक योग्यता / तकनीकी योग्यता:-

परीक्षा/शाखा	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

संलग्न सहपत्र (सत्यापित प्रतिलिपियाँ)

- मूल निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपिव)/विकलांगता प्रमाण पत्र
- आईटीआई प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र /10वीं कक्षा की अंकसूची

आवेदक के हस्ताक्षर

### घोषणा पत्र

मै .....आत्मज .....प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णरूप से सत्य है। असत्य/अपूर्ण जानकारी पाये जाने पर म.प्र. पॉ.ज.कं.लि. द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु मै जिम्मदार रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर